

प्रेस्य,

सुन गुरुभाई कुम्हा
गुरुभाई कुम्हा
उत्तर कुम्हा दिवान ।

तेजा में,

दर्शि,
गुरुभाई गुरुभाई गुरुभाई परिषद्,
गुरुभाई गुरुभाई गुरुभाई परिषद्
गुरुभाई गुरुभाई गुरुभाई परिषद् ।

सिखा १७१ अनुभाग

तिथि: १९ जून २००३

विषय:-

गुरु गीतों वालक सभा गुरुदर्शन असामट द्वारा की गयी गुरुदर्शनी
हो संबोधन द्वारा गुरुदर्शन गुरुदर्शन परिषद् चाहे गुरुदर्शन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने
का निर्देश हुआ है कि उक्त तदर्पित विद्यालय ले **गुरुदर्शनी** नईदिल्ली से
संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उस राज्य सरकार को निम्नलिखित
प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का सम्बन्ध सम्बन्ध पर नवीनीकरण कराया
जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में सिखा निर्देश द्वारा नियमित एक तदत्य ली गा।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत राजनीति/जनजाति के
छायों के लिए तुरहित रहेंगे और उनसे उप्र०ग्रामिक परिषद् द्वारा
संबोधित विद्यालयों में विभिन्न लक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से
अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संत्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान जी माँग नहीं जी जायेगी
जौर पटि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक सिखा परिषद् अथवा वेतिक सिखा
परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक
सिखा परिषद्/लौकिक फार टि इण्डियन स्कूल सटीफिकेट इक्या मिसेजल
नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्षे से उक्त केन्द्रीय
पारिषदों की संबद्धता प्राप्त होने से तिथि से उप्र०माध्यमिक सिखा
परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान
स्वतः समाप्त हो जायेगे ।

- 151 नियमानुसार अधिकारियों को राज्य सत्रापता प्राप्त विधान सत्राओं के कर्मानियों का अनुमन्य देता सानों तथा अन्य भूतों से लम्ब वेतनमात्र तथा अन्य नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मानियों की सेवा में उनकी जापेंगी और उन्हें तत्त्वापता प्राप्त विधान सत्राय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मानियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति एवं वापर अपार्थि कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा तमस-सम्बन्ध पर जो भी आदेश नियमित छिपे जायेंगे तास्यां उनका पालन करेंगे ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निधान त्र प्रसव/संजिकामों में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/तंगोधा/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

20 उक्त प्रतिक्रियों का पालन इनका संतुष्ट होगा और प्राप्त किसी समय यह पापा जाता है कि इसका द्वारा उक्त प्रतिक्रियों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रबार को दूँक या गिरफ्तारी बरसी जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा उद्दल अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस से लिया जायेगा ।

भृतीय,

• विधि प्रबार द्वारा
संपूर्ण कामकाज ।

पूर्वानुमोदन दिनांक तृतीय

प्रतिनिधि नियमित छिपता अवधि सत्र आवश्यक कार्यवाही ऐसु प्रेषित:-

- 1- विधा निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 2- मानवीय संपुर्ण विधा नियमित छिपता ।
- 3- जिला विद्यालय नियमित छिपता ।
- 4- नियमित आंगन भारतीय विद्यालय, उ०प०, लखनऊ ।
- 5- प्रबार, अ०३ जून० परिवर्तन राज्य विधान सभा, लखनऊ ।
- 6- गाड़ दुकान ।

जाहा ने
संस्कृत विद्यालय

• विधि प्रबार द्वारा
संपूर्ण कामकाज ।